

Note for Pad

Haryana KaushalRozgar Nigam (HKRNL) was established with the primary objective of facilitating the deployment of contractual manpower across various government and private entities in the State of Haryana through a dedicated online portal. The purpose is to uplift needy and underprivileged candidates, ensuring transparency, timely payments, and compliance with labor laws, while eliminating the exploitation of contractual manpower by private contractors.

The implementation of contractual manpower deployment through HKRNL represents a significant reform in the welfare of contractual workers, addressing concerns related to wages, statutory benefits, and overall working conditions. The government aimed to eradicate irregularities and exploitation by establishing HKRNL, thus ensuring fair treatment and removing past instances of manpower exploitation by private contractors.

Key Focus Areas of Haryana KaushalRozgar Nigam Limited:

1. HKRNL is committed to providing opportunities for socio-economically disadvantaged individuals, focusing on their empowerment through employment.
2. The Nigam ensures timely payment of salaries and benefits, including EPF, ESI, and LWF, to the deployed manpower in adherence to government policies.
3. HKRNL strictly adheres to the Deployment of Contractual Persons Policy-2022, as specified by the Government of Haryana, to maintain consistency and transparency in its operations.
4. Implementation of schemes like CHIRAAAYU ensures that the deployed manpower receives necessary medical benefits.
5. The Nigam engages in compassionate ground activities, demonstrating its commitment to the overall well-being of the workforce.
6. Leveraging advanced IT technologies for recruitments ensures efficiency, transparency, and a seamless process.

The deployment process under HKRNL operates in line with the Deployment of Contractual Persons Policy-2022, available on the Haryana Government's website. The use of a tech-enabled online portal ensures a

transparent and intervention-free deployment process. Remuneration is directly disbursed to employees' bank accounts, showcasing the robustness and transparency of the system in alignment with government guidelines.

The Nigam has developed a portal having following salient features:

- i) All Government organizations can raise indent online, using their login/sub-login which will be approved by Finance department and forwarded to HKRNL for processing and deployment.
- ii) Shortlisting and Selection of candidates through a tech-enabled system-driven on the basis of a ranking matrix approved under the Deployment of Contractual Persons Policy, 2022 dated 30.6.2022 of Government of Haryana.
- iii) The existing contractual manpower working regularly as on 31.03.22 working in different Government organizations through the contractors are being ported to the Nigam portal as per the terms of the Deployment of Contractual Persons Policy, 2022 dated 30.6.2022 of Government of Haryana.
- iv) The payment of wages to the manpower is also done through the online portal
- v) All statutory compliances relating to labour welfare etc are also being taken care of.

The selection / shortlisting of candidates by the Nigam is being done through the online portal, leaving no scope for any manual intervention, in a transparent way. Thus, educated youth of the state are provided with the opportunity of registration on the Haryana KaushalRozgar (HKRNL) Portal as detailed below.

- The educated youth having prior experience in any Government organizations/ Board/ Corporations etc (but not currently working) are given opportunity to register on the portal and their claimed experience is verified online from DDOs of respective organisations through the HKRNL Portal. The verified candidates from the pool of such registered candidates are considered for deployment on priority basis.
- The candidates which do not have any prior experience in any government entities are also given an opportunity to register

themselves on the HKRNL portal through public advertisement. Such advertisements are published when sufficient number experienced candidates are not available in the registered pool of candidates of HKRNL portal against the demand of various departments.

- The selection criteria adopted by the Haryana KaushalRozgar Nigam (HKRN) for deployment is duly approved by the Human Resource Department (HRD) Govt. of Haryana and is available in deployment of contractual person policy 2022 dated 30.06.2022.

While selecting candidate against a job requisition, First priority goes to the candidates with verified pre-government working experience. However, if experienced candidate is not available, then advertisement candidates are considered based on following scoring criteria.

Selection and Scoring criteria to be adopted preparing merit for job activities

Sr	Parameter	Max score (points)
1	Weightage on the basis of Annual family income of the candidate as verified in the family information data reported by the Haryana ParivarPehchan Authority (HPPA), which shall be taken as conclusive proof in terms of Selection 6(2) of the Act. <i>Income uptoRs. 1,00,000 = 40</i> <i>From Rs. 1,00,001 – 1,80,000 = 30</i> <i>From Rs. 1,80,001 – 3,00,000 = 20</i> <i>From Rs.3,00,001 – 6,00,000 = 10</i>	40
2	Weightage of Age of the Candidate as verified in the family information data reported by Haryana ParivarPehchan Authority (HPPA), which shall be taken as conclusive proof in terms of Selection 6(2) of the Act <i>Scoring parameter:</i> <i>Above 24 to 36 years= 10 points</i> <i>Above 36 to 42 years = 05 points</i>	10
3	Skill Qualification beyond essential qualification (NSQF Aligned relevant certificate)	05
3 (i)	Additional higher qualification above basic Qualification for that Job Roles/Job Activity	05
4	Weightage of Socio-Economic Criteria Orphan 10 points (To be given to candidates up to 25 years of age). Widow- 5 points Fatherless Candidates: a) Candidate's father had died before attaining age of 42 years - 5 points b) Candidate's father had died before the applicant had attained the age of 12 years- 5 points	10
5	Weightage of Common Eligibility Test (CET)	10
6	Ease of Deployment Same Block/ Municipal Corporation as per PPP – 10 points Adjoining Block/ Municipal Corporation as per PPP – 5 points	10
7	Pre State Government Experience Weightage of one point for experience of each year or part thereof with maximum 10 points	10
	Total	100

Accordingly, the deployment of manpower is made on merit bases and in a transparent manner through a tech enabled online system.

- In FY2023-24, Up to Jan 2024, HKRNL disbursed a significant amount of salary amounting to Rs. 2024 crore directly into the bank accounts of deployed personnel, ensuring a streamlined and transparent salary process.
- The recent implementation of the CHIRAAAYU scheme enhances the well-being of HKRNL's deployed manpower with salaries exceeding Rs. 21,000; this scheme will be benefiting around 24,051 families.
- Employees enjoy social benefits like EPF, ESI, LWF, and maternity leaves, fostering a supportive work environment.
- HKRNL strictly follows the government's policy dated 30.06.2022, ensuring reservation guidelines for the deployment of manpower. The organization maintains reservation guidelines and successfully implements compassionate grounds engagements, dedicating a 10% quota for dependents of deceased contractual employees.
- Advanced IT technologies are embraced for recruitment at HKRNL, enhancing the overall well-being of deployed personnel.

The criteria adopted for reservation has been made by the Government in the policy "Deployment of Contractual Persons Policy, 2022" dated 30th June 2022, where in clause number 9, specifies about the reservation policy

चर्चा हेतु टिप्पणी

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एच०के०आर०एन०एल०) की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य सक्षम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हरियाणा राज्य के विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों में अनुबंधित श्रमशक्ति को नियुक्तियां प्रदान करना था। इसका उद्देश्य निजी ठेकेदारों द्वारा अनुबंधित श्रमशक्ति के शोषण को समाप्त करते हुए, पारदर्शिता, समय पर भुगतान और श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करके जरूरतमंद और वंचित उम्मीदवारों का उत्थान करना है।

एच०के०आर०एन०एल० के माध्यम से नियुक्त अनुबंधित श्रमशक्ति का कार्यान्वयन अनुबंधित कर्मचारियों के कल्याण में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें वेतन, वैधानिक लाभ, और संबंधित कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना है। सरकार का लक्ष्य एच०के०आर०एन०एल० की स्थापना करके अनियमितताओं और शोषण को खत्म करना था, इस प्रकार उचित व्यवहार सुनिश्चित करना और निजी ठेकेदारों द्वारा श्रमशक्ति शोषण के पिछले उदाहरणों को दूर करना है।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के प्रमुख ध्यानकेंद्रित क्षेत्र इस प्रकार हैं:

1. एच०के०आर०एन०एल० रोजगार के माध्यम से उनके सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2. निगम सरकारी नीतियों के अनुपालन में नियुक्त श्रमशक्ति को ईपीएफ, ईएसआई और एलडब्ल्यूएफ सहित वेतन और लाभों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है।
3. एच०के०आर०एन०एल० अपने संचालन में स्थिरता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, हरियाणा सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति नीति-2022 का सख्ती से पालन करता है।
4. चिरायु जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होता है कि नियुक्त श्रमशक्ति को आवश्यक चिकित्सा लाभ प्राप्त हो।
5. निगम का मृत्यु- उपरांत की गतिविधियों (compassionate Ground Activities) में शामिल होना, श्रमबल के समग्र कल्याण की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है।
6. नियुक्तियों के लिए सक्षम आईटी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, भर्तियों में कुशलता, पारदर्शिता, और एक सहज प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है।

एच०के०आर०एन०एल० के तहत नियुक्ति प्रक्रिया अनुबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति नीति-2022 के अनुसार संचालित होती है, जोकि हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तकनीक-सक्षम ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग एक पारदर्शी और हस्तक्षेप-मुक्त नियुक्ति प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। पारिश्रमिक सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से वितरित किया जाता है जो सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रणाली की मजबूती और पारदर्शिता को दर्शाता है।

निगम ने निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं वाला एक पोर्टल विकसित किया है:

- i) सभी सरकारी संगठन अपने लॉगिन/उप-लॉगिन का उपयोग करके ऑनलाइन श्रमशक्ति की मांग कर सकते हैं, जिसे वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उनकी प्रोसेसिंग और नियुक्तियों के लिए एच०के०आर०एन०एल को भेजा जाएगा।
- ii) हरियाणा सरकार की अनुबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति नीति-2022 दिनांक 30.06.2022 के तहत रैंकिंग मैट्रिक्स के आधार पर उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग और चयन प्रक्रिया को उच्च तकनीक प्रणाली के माध्यम से लागू किया गया है।
- iii) हरियाणा सरकार की अनुबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति नीति-2022 दिनांक 30.06.2022 की शर्तों के अनुसार, विभिन्न सरकारी संगठनों में ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत सभी मौजूदा अनुबंधित श्रमशक्ति को नियमित रूप से काम कर रहे निगम पोर्टल पर पोर्ट किया जा रहा है।
- iv) श्रमशक्ति को मजदूरी का भुगतान भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
- v) श्रम कल्याण आदि से संबंधित सभी कानूनी नियमों का भी ध्यान रखा जा रहा है।

निगम द्वारा उम्मीदवारों का चयन/शॉर्टलिस्टिंग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे पारदर्शी तरीके से किसी भी मानवीय हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। इस प्रकार, राज्य के शिक्षित युवाओं को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार के पोर्टल पर पंजीकरण का अवसर प्रदान किया जाता है-

- किसी भी सरकारी संगठन/बोर्ड/निगम आदि (लेकिन वर्तमान में काम नहीं कर रहे) में पूर्व अनुभव रखने वाले शिक्षित युवाओं को पोर्टल पर पंजीकरण करने का अवसर दिया जाता है और उनके दावा किए गए अनुभव को पोर्टल के माध्यम से संबंधित संगठनों के डी०डी०ओ० से ऑनलाइन सत्यापित किया जाता है। ऐसे पंजीकृत उम्मीदवारों के पूल से सत्यापित उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति की जाती है।
- जिन उम्मीदवारों को किसी भी सरकारी संस्था में कोई पूर्व अनुभव नहीं है, उन्हें भी सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से एच०के०आर०एन०एल० पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने का अवसर दिया जाता है। ऐसे विज्ञापन तब प्रकाशित किए जाते हैं जब विभिन्न विभागों की मांग के विरुद्ध एच०के०आर०एन०एल० पोर्टल के पंजीकृत उम्मीदवारों के पूल में पर्याप्त संख्या में अनुभवी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं।
- नियुक्ति के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एच०के०आर०एन०एल०) द्वारा अपनाए गए चयन मानदंड हरियाणा सरकार की अनुबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति नीति-2022 दिनांक 30.06.2022 में उपलब्ध है तथा जिनको मानव संसाधन विभाग (HRD) द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

नौकरी की मांग के खिलाफ उम्मीदवार का चयन करते समय, पहली प्राथमिकता सत्यापित पूर्व-सरकारी कार्य अनुभव वाले उम्मीदवारों को दी जाती है। हालांकि, यदि अनुभवी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित स्कोरिंग मानदंडों के आधार पर विज्ञापन उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा-

क्रम०स०	पैरामीटर	अधिकतम स्कोर (अंकों में)
1	हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (एचपीपीए) द्वारा प्रमाणित पारिवारिक सूचना डेटा में सत्यापित उम्मीदवार की वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर	40

	भार, जिसे अधिनियम के चयन 6 (2) के संदर्भ में निर्णायक प्रमाण के रूप में लिया जाएगा। स्कोरिंग पैरामीटर: आय ₹0 1,00,000 तक = 40 अंक ₹0 1,10,000 -1,80,000 तक= 30 अंक ₹0 1,80,000 - 3,00,000 तक = 20 अंक ₹0 3,00,000 - 6,00,000 तक = 10 अंक	
2	हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (एचपीपीए) द्वारा प्रमाणित पारिवारिक सूचना डेटा में सत्यापित उम्मीदवार की आयु के आधार पर भार, जिसे अधिनियम के चयन 6 (2) के संदर्भ में निर्णायक प्रमाण के रूप में लिया जाएगा। स्कोरिंग पैरामीटर: 24 से 36 वर्ष = 10 अंक 36 से 42 वर्ष = 05 अंक	10
3	आवश्यक योग्यता के अतिरिक्त कौशल योग्यता(एन.एस.क्यू.एफ. से संबंधित प्रमाण पत्र)	5
3(क)	उस नौकरी की भूमिका/ कार्य गतिविधि के लिए बुनियादी योग्यता से ऊपर अतिरिक्त उच्चशिक्षा	5
4	सामाजिक-आर्थिक मानदंड का महत्व अनाथ = 10 अंक (25 वर्ष तक की आयु के उम्मीदवार को दिए जाते हैं) विधवा = 5 अंक पितृहीन उम्मीदवार क) उम्मीदवार के पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु से पहले हो गई = 5 अंक ख) उम्मीदवार के पिता की मृत्यु उम्मीदवार की आयु 12 वर्ष होने से पहले हो गई हो = 5 अंक	10
5	सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) का भार	10
6	नियुक्ति में आसानी - (ग्रह जिला) पीपीपी के अनुसार समान खंड/ नगर निगम= 10 अंक पीपीपी के अनुसार निकटवर्ती खंड/ नगर निगम= 10 अंक	10
7	पूर्व राज्य सरकार का अनुभव प्रत्येक एक वर्ष के अनुभव के लिए 1 अंक अधिकतम अंक 10	10
	कुल अंक	100

तदनुसार, श्रमशक्ति की नियुक्ति योग्यता के आधार पर और तकनीकी सक्षम आनलाइन प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी तरीके से की जाती हैं।

- वित्त वर्ष 2023-24 में जनवरी 2024 तक, एच०के०आर०एन०एल० ने 2024 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण राशि एक सुव्यस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया से, नियुक्ति कर्मचारियों के बैंक खातों में वितरित की है।
- हाल ही में, एच०के०आर०एन०एल० के तहत नियुक्त कर्मचारियों की भलाई को देखते हुए, उन सभी को चिरायु स्कीम में शामिल किया गया, जिनका मासिक वेतन 21000 से ज्यादा है, इस स्कीम से लगभग 24051 परिवारों को लाभ प्राप्त होगा।
- कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआई, एलडब्ल्यूएफ, और मातृत्व छुट्टियाँ जैसे सामाजिक लाभ प्राप्त होते हैं, जो एक सहायक कार्य वातावरण को बढ़ावा देते हैं।

- एच०के०आर०एन०एल० सरकार की नीति दिनांक 30.06.2022 का सख्ती से पालन करता है और श्रमशक्ति के आरक्षण के लिए दिशानिर्देशों को नियोजन करना सुनिश्चित करता है और सफलतापूर्वक मृतक अनुबंधी कर्मचारियों पर आश्रित लाभार्थियों के लिए 10% का कोटा प्रदान करता है।

- एच०के०आर०एन०एल० के द्वारा भर्ती के लिए सक्षम आईटी प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाता है जो नियुक्त कर्मचारियों के संपूर्ण कल्याण को बढ़ावा देता है।

आरक्षण के लिए अपनाए गए मानदंड सरकार द्वारा “अनुबंधित व्यक्तियों की नियुक्ति नीति-2022” दिनांक 30 जून 2022 के द्वारा निर्धारित किए गए हैं जिसकी धारा 9 आरक्षण नीति को विशेष रूप से उल्लेखित करती है।

.....